

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/बी-3/टैली सॉफ्ट./25-26/ २७१९

भोपाल, दिनांक 06/08/2025

प्रति,

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

समिति २५९ जिला

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 से बैलेंस शीट निरंतर तैयार करने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्या. पत्र क्रमांक/बोर्ड/लेखा/बी-3/टैली सॉफ्ट./24-25/2663 भोपाल, दिनांक 09.12.2024

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को वित्तीय वर्ष 2024-25, कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से निरंतर आयकर रिटर्न फाइल किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त के संबंध में पुनः निर्णय लिया गया है कि मंडी समितियों का आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया जाना है, केवल बैलेंस शीट तैयार की जाना है।

प्रदेश की समस्त 259 मंडी समितियों में वित्तीय व्यवस्था अंतर्गत दैनिक लेखा संधारण कार्य हेतु टैली सॉफ्टवेयर संस्थापन कर मंडी समितियों में पदस्थ लेखापाल/लेखाकर्मियों को टैली सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 के अंतर्गत अपने स्तर से चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से निरंतर बैलेंस शीट तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

Kalunwa

(आर.आर.अहिरवार)

अपर संचालक (वित्त)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
०/८ भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/बी-3/टैली सॉफ्ट./25-26/ २७२०

भोपाल, दिनांक 06/08/2025

प्रतिलिपि :-

संयुक्त/उप संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Kalunwa

अपर संचालक (वित्त)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
०/८ भोपाल